भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/14/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 29.06.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (ओआई) - 12/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. फा. सं. 6/14/2024-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है और उसने संबद्ध देश

के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ***टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स*** है जिसे लिफ्ट गाइड रेल्स के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट गाइड रेल दो प्रकार कर अर्थात सॉलिट गाइड रेल और होलो गाइड रेल होती हैं। सॉलिड गाइड रेल मशीन द्वारा या टी-प्रोफाइल की कोल्ड ड्राइंग द्वारा विनिर्मित टी-शेप्ड गाइड रेल होती हैं और इनका प्रयोग कार गाइड रेल अनुप्रयोगों और काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए होता है। होलो गाइड रेल निर्मित शीट मेटल से बनती है और खुली प्रोफाइल या बंद प्रोफाइल हो सकती है और इसका प्रयोग काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों में होता है। पीयूसी एलीवेटेड कार और काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक गाइडिंग संरचना प्रदान करता है।

4. पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार और आयामों की "टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स" रेल शामिल हैं:

i. **कोल्ड ड्रॉन गाइड रेल:** इन सॉलिड गाइड रेलों को कोल्ड ड्राइंग प्रक्रिया से बनाया जाता है जो तैयार गाइड रेलों को अंतिम दिशा देती है और उनकी यांत्रिक विशेषताओं और सतह की विशेषताओं (खुरदुरापन) को संशोधित करती है।

ii. **बड़े आकार / चौड़ाई की सॉलिड गाइड रेल:** अर्थात विभिन्न किस्मों में टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी । इन गाइड रेलों को उनके बड़े आकार के कारण विशेष गाइड रेल कहा जाता है।

iii. **वेल्डेड होलो गाइड रेल:** इन होलो गाइड रेलों को उच्च आवर्ती वेल्डिंग प्रक्रिया या अन्य समतुल्य वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा सामान्यत: होलो गाइड रेलों के किनारों को वेल्ड करके बनाया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में टैरिफ शीर्ष 8431 और टैरिफ मद ***8431 31 00*** **"लिफ्ट स्किप होइस्ट या स्केलेटर" और 8431 39 10** "एलीवेटर, **कन्वेयर और चल उपकरण"** के अंतर्गत अध्याय 84 में वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु को टैरिफ मद **8431 39 00 अन्य'** के अंतर्गत भी आयातित किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि किसी टैरिफ मद के अंतर्गत भी विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। अत: विचाराधीन उत्पाद के लिए शीर्ष / टैरिफ मद केवल संकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

6. याचिकाकर्ता ने उचित तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

क्र.सं.	मापदंड	प्रकार	पीसीएन कोड
1	गाइड रेल के प्रकार	सॉलिड गाइड रेल	एसजीआर
2		होलो गाइड रेल	एचजीआर

7. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित) संबंधी अपनी टिप्पणियां यदि को हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान</u> **वस्तु**

8. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग

द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए एडी नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु मानी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे उत्पाद से प्रथमदृष्ट्या समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. यह याचिका सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता की सूचना के अनुसार भारत में पीयूसी के दो और उत्पादक अर्थात एन. लिफ्टी इंजीनियर्स और नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन हैं। याचिका एन. लिफ्टी इंजीनियर्स द्वारा समर्थित हैं जिसने पीयूसी की अपनी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में मात्रात्मक सूचना उपलब्ध कराई है। याचिकाकर्ता का अकेले कुल भारतीय उत्पादन में 89 प्रतिशत हिस्सा बनता है। समर्थक के साथ याचिकाकर्ता का कुल भारतीय उत्पादन में 95 प्रतिशत हिस्सा है।

10. याचिकाकर्ता ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से पीयूसी की मामूली मात्रा का आयात किया है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात उसके स्वयं के उत्पादन, बिक्री, कुल आयात और भारत में पीयूसी की मांग की दृष्टि से नगण्य हैं।

11. याचिकाकर्ता की चीन जन. गण. में संबद्ध कंपनियां हैं जो पीयूसी के विनिर्माण और बिक्री में शामिल हैं। चीन की संबद्ध कंपनियों ने भारत को पीयूसी की मामूली मात्रा का निर्यात किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद याचिकाकर्ता फिर भी घरेलू उद्योग है क्योंकि चीन में उसके संबद्ध निर्यातकों ने पीओआई में भारत में पीयूसी के कुल आयातों के संबंध में मामूली मात्रा का निर्यात किया

है। पीयूसी के आयातों का अधिकांश हिस्सा चीन से असंबद्ध उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा किया गया है।

12. याचिकाकर्ता के दावों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और चीन से याचिकाकर्ता के संबद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा का मूल्यांकन करने पर प्राधिकारी यह मानना उचित समझते हैं कि प्रथमदृष्ट्या याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

13. रिकार्ड की सूचना से समर्थक के साथ याचिकाकर्ता का भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रथमदृष्ट्या घरेलू उद्योग है और याचिका प्रथमदृष्ट्या एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरी करती है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

14. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

15. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

च. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

क. सामान्य मूल्य

16. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादकों का सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है यदि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति दें, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों का विकल्प इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत की सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर यथा उपलब्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के समायोजन के बाद परिकलित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

18. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़े में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और लोडिंग तथा अनलोडिंग प्रभार के लिए अन्य खर्चों हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है।

छ.   **क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप**

20. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक रही है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण उसके निष्पादन में क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, घरेलू बिक्री, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति का खतरा है जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

ज.   **पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

21. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. **समय सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consulatant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त एडी नियमावली के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

30. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए डीजीटीआर की सरकारी वेबसाइट (https://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा / बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की

सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी नोटिस के संबंध में सूचित रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और सूचना से भलिभांति अवगत रहेंगे।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. "गोपनीय या अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी